न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग
इजलाश श्री विनोद कुमार मीना आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

कदमा नं0 11/2023
—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां जिला डीग
प्रार्थी

बनाम

—मधु पत्नि चन्द्रभान जाति ब्राहमण निवासी पवनकुन्ज कालोनी कामां शीला पत्नि दिनेश कुमार जाति अहीर निवासी कामां सविता पत्नी वासदेवी निवासी पवनकुन्ज कालोनी कामां तहसील कामां जिला डीग
अप्रार्थीगण

वाद अन्तर्गत धारा 177 आर0टी0एक्ट

निर्णय

दिनांक 04.01.2024

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर0टी0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा संख्या 1173/0.37, 1179/0.11,हैक्टर किता 2 रकवा 0.48 वाके ग्राम कस्बा कामां नं0 1 तहसील कामां जिला डीग में स्थित है । अप्रार्थीगण मधु पत्नि चन्द्रभान जाति ब्राहमण निवासी पवनकुन्ज कालोनी कामां शीला पत्नि दिनेश कुमार जाति अहीर निवासी कामां सविता पत्नी वासदेवी निवासी पवनकुन्ज कालोनी कामां तहसील कामां जिला डीग खातेदार दर्ज रिकार्ड है । उक्त भूमि पर कृषि करते हैं तथा तहसीलदार कामा को वार्षिक कर संदाय करने का उत्तरदायी है । जो सिर्फ कृषि करने के लिए अधिकृत है । अकृषि कार्यो के लिए अप्रार्थीगण द्वारा भूमिधारी से पूर्वानुमति भूमि रूपान्तरण कराया जाना नितान्त जरूरी है । पटवारी हल्का ने मुझ भूमिधारी को रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थीगण मधु पत्नि चन्द्रभान जाति ब्राहमण निवासी पवनकुन्ज कालोनी कामां शीला पत्नि दिनेश कुमार जाति अहीर निवासी कामां सविता पत्नी वासदेवी निवासी पवनकुन्ज कालोनी कामां तहसील कामां जिला डीग ने इस वाद ग्रस्त भूमि ग्राम कस्बा कामां नं 1 आराजी खसरा संख्या 1176/0.01, 1177/0.11,हैक्टर किता 2 रकवा 0.12 वाके ग्राम कस्बा कामां नं0 1 तहसील कामां जिला डीग पर बिना भूमिधारी की स्वीकृति के प्लाटिग कार्य करके आवासीय उपयोग किया जा रहा है । व ना ही कोई स्वीकृति ली गई है । उक्त रिपोर्ट पटवारी की जांच मौके पर भू0अभिलेख निरीक्षक कामां द्वारा की गई जिसमें कि रिपोर्ट पटवारी हल्का कामां के तथ्यों को सही पाये जाने पर जांच सत्यापित किया गया । उक्त प्लॉटिंग कार्य होने से (गैर कृषि कार्य होने से) वादग्रस्त भूमि की उर्वरा शक्ति व कृषि क्षमता समाप्त हो गई है । जिससे भूमिधारी को अपूणर्यीय क्षति हुई है ।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि कृषि भूमि की प्रकृति को सक्षम अधिकारी से रूपान्तरण कराये बिना प्रकृति परिवर्तित कर भूमि की कृषि क्षमता को नष्ट करने के कारण अप्रार्थीगण वाद ग्रस्त भूमि को आराजी खसरा संख्या 1176/0.01, 1177/0.11,हैक्टर किता 2 रकवा 0.12 वाके ग्राम कस्बा कामां नं0 1 तहसील कामां जिला डीग को सिवायचक सरकारी भूमि घोषित करते हुए भूमि भूमिधारी तहसीलदार को कब्जे में लेने तथा दोषी कृषक अप्रार्थीगण पर अधिकतम हर्जाना राशि लगाने के आदेश किया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण की ओर अधिवक्ता श्री त्रिलोकचन्द एवं अमित शर्मा उपस्थित आये । तथा जबाव पेश किया कि आराजी भूमि विवादित नहीं है । किसी भूमि में अपने आवास हेतु कृषि उपकरण रखने हेतु परिसर निर्माण करने के लिये किसी भी प्रकार के संपरिवर्तन की आवश्यकता नहीं है । अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार की कोई प्लॉटिग नहीं की जा रही है । और ना ही वर्तमान में किसी आवासयी उपयोग किया जा रहा है । रूपान्तरण प्रकिया प्रकियाधीन है । तहसीलदार कामां द्वारा श्रीमान जी के समक्ष गलत रिपोर्ट पेश की गई है । पटवारी व भू0 अभिलेख निरीक्षक द्वारा राजनैतिक दबाब में न्यायालय के समक्ष गलत रिर्पोट पेश की गई है। उक्त जायदाद पर किसी भी प्रकार का प्लॉटिग कार्य नहीं हो रहा है । उक्त आराजी भूमि की उर्वरा शक्ति व कृषि क्षमता पूरी तरह से बरकरार है । प्रतिवादीगण निरन्तर रूप से उक्त

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

आराजी में गोबर का खाद व कूडा डालकर कृषि करते आ रहे है । गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है । जब प्रतिवादीगण द्वारा कोई कार्य ही किया गया तो सारहीन प्रार्थना पत्र को सुनन का कोई औचित्य ही नहीं है प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है । उक्त आराजी में प्रतिवादगण आज तक कृषि करते चले आ रहा है । यदि भविष्य में प्रतिवादीगण की मंशा प्लॉटिंग कार्य करने की होती है तो इसके लिए प्रतिवादीगण विधिक प्रकिया अपनाकर उक्त आराजी का आवासीय /व्यवसायिक में परिवर्तन करायेगें और जो भी निर्धारित राजस्व होगा उसे अदा करेंगें । वर्तमान में प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी में कृषि ही की जा रही है । कृषि से आवासीय में परिवर्तन कराने के लिए भूमि रूपान्तरण की प्रकिया प्रतिवादीगण ने प्रारम्भ कर दी है । दावा वादी सारहीन होने के कारण काबिले खारिज है ।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए जमाबन्दी सं0 2074–2077 की नकल व नक्शा ट्रेस पेश किया है ।

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गयी । प्रार्थी की ओर पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार कामां ने उपस्थित होकर अपने प्रार्थना पत्र के लिखित तथ्यों को दोहराया । तथा कहा कि प्रतिवादीगण कि आराजी खसरा संख्या 1173/0.37, 1179/0.11,हैक्टर किता 2 रकवा 0.48 वाके ग्राम कस्बा कामां नं0 1 तहसील कामां जिला डीग खातेदार काश्तकार है । जिन्होंने बिना भूमिधारी के उक्त आराजी में प्लॉटिंग का कार्य कर लिया है । जो कि गलत है । अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उक्त आराजी पर कोई प्लाटिंग का कार्य नहीं किया गया है । सिर्फ भूमि सुधार के लिए मिट्टी डाली गयी है जिससे पानी के कटाव के कारण गड्डे होने के कारण उक्त आराजी की भूमि को समतल करने के लिए डाली गयी है । पशुओं से फसल सुरक्षा के लिए आराजी की मेड पर बाउण्ड्री निर्माण किया जा रहा है । कोई प्लॉटिंग नहीं की जा रही है । फसल की उर्वरा को बनाने के लिए गोबर खाद खेत में डाली गयी है । तथा काश्त की जा रही है । कृषि से अकृषि में उपयोग नहीं लिया जा रहा है ।

हमने प्रार्थी व प्रतिवादीगण के वकील की बहस सुनी गयी । प्रार्थी ने अपनी बहस में प्लाटिग होने के साक्ष्य में कोई बयनामा व इकरार नामा पेश नहीं किया प्रार्थना पत्र के कोई तथ्यों को साबित करने के लिए ठोस सबूत पेश नहीं किया है प्रार्थी द्वारा केवल प्रार्थना पत्र व जमाबन्दी पेश की है । जिससे साबित नहीं होता है कि प्रार्थी द्वारा अकृषि कार्य में भूमि का उपयोग किया जा रहा है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है ।

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बिना साक्ष्य व सबूत के पेश किया है । प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को साबित करने में असफल रहे हैं । अतःप्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 4.01.2024 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया ।

(विनोद कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्डअधिकारी
कामां (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
कामां (डीग) राज0